


फर्द आइकाम अन्तर्गत नियम 28
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
 मनजोत सिंह बनाम जगना सिंह व अन्य
 विधि प्रार्थना संख्या 2022/038
 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कसकर अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
24.05.2022	<p>वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आक्टोफ का पेश किया। प्रार्थना-पत्र इसी रजिस्टर किया जाये। अधिवक्ता प्रार्थी को एक प्रतिय मुना गया। इहस्त अधिवक्ता, राज्य-पत्र एवं सत्यमेव दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इत आशय को जारी की जाती है कि लक्ष्यपक्ष प्रत्येक आराजी चक्र 2 डी डडी, लहसोल व जिला श्रीगंगानगर, पटवार हल्का ओहकी, मूडADनि0 क्षेत्र हिन्दुनलकोट के खता संख्या 105/106 नुस्खा नं0 65 के किला नं0 1 ता 25 की 6200 है0 में 689/6200 हिस्सा कृषि भूमि में आगानी तारीख पेशी तक नौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इत संबंध में कोई लज/ऐतराज हो तो वकालतन/ असलतन आगानी तारीख पेशी तक पेश करे। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड एडी. से तानील करवाकर 03 दिवस में रसोई पेश करे। इतके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त नानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 15 जुलाई, 2022 को पेश हो।</p>	<p>आदेश क्रमांक एवं दिनांक</p>
	<p>महापक कलक्टर एवं कार्यालयक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर</p>	
15/7/22	<p>आज चार सभ न कार्य नही करन का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/8/22 को पेश हो</p>	
4/8/22	<p>भाज पौठासीन अधिकारी पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/9/22 को पेश हो</p>	
6/9/22	<p>अभिप्रेतमगण अस्तित्व, अनियमितग नी जारी नोटिस अडक/कड नारीय प्राध नारी वकील अस्तित्व पुनः माल/नोटिस नलवाना अडक नोट फास्टी वाके नलवी हे जगत 24/9/22 को पेश हो</p>	

4-11-24

आज बार सघ न कार्य नहीं करन
का निर्णय लिया है। पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 3-11-24
को पेश हो।

13/11/24

आज पोंठामान अधिकारों पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 28/11/24 को पेश हो।

28.11.24

अधिवक्ता प्राप्ति उपर्युक्त प्राप्ति अधिवक्ता
को अत्रापीठिका की तलबी नही रखने पर
दिनांक 15.10.24 को अधिसूचना 9 मिथक 5
धीरेधीरे के तहत कार्रवाई करने की दिशा में
की गई थी। परन्तु प्राप्ति अधिवक्ता को
अत्रापीठिका की तलबी आदिनांक तक
नही रखवाई है। प्राप्ति अधिवक्ता को
सूची में प्रथम आगट रहे जा चुके हैं
अतः प्रथम में अधिसूचना 9 मिथक 5 धीरेधीरे
के तहत कार्रवाई की जाए कि प्राप्ति
पत्र 212 LTA संख्या 2022/038,
अनुवानी मूनजीत सिंह वनाठ ठाणा सिंह
व अन्य वर्तमान स्तर पर खासि किया
जाव है। फाइल नस्तीत्र को पत्रावली
द्वारा पंजिका के हक से हक की जाव
मिथक की सूची में शामिल हो।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर